रण सं 47/M शिवराज उनवान किशनलाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16/7/25	पत्रावली पेश हुई। वादी - प्रतिवादी आदि उप.) साक्ष्यवादी अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी हेतु अवसर चाहा गया। वादी अधिवक्ता को साक्ष्यवादी उपस्थित कराने हेतु अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 6/8/25 को पेश हो। 16/7/25
6/8/25	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अनुपस्थित। साक्ष्यवादी अनुपस्थित। प्रतिवादी आदि- उप-) वादी एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से व्यापकहित में पुनः एकबार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्धारित सेर दस्तूर लगाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 6/8/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा